भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1581

उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

आईआईटी में पदोन्नति में आरक्षण के लिए डीओपीटी के दिशानिर्देश

1581. **डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते**:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में इंजीनियरों और तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशानिर्देश लागू होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आईआईटी में ऐसे मामले आए हैं जहां 'कुशल संवर्ग' या 'विशेष कौशल' आवश्यकताओं के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण सीमित या स्थगित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार आईआईटी में पदोन्नति में आरक्षण नीतियों के अनुपालन की नियमित निगरानी के लिए एक नया तंत्र लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) स्वायत्त निकाय हैं जो समय-समय पर यथा संशोधित प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 और उसके तहत बनाई गई संविधियों द्वारा शासित होते हैं। सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईआईटी में गैर–शिक्षण संवर्ग में आरक्षण भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार लागू किया जाता है। पद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार आरक्षित किए जाते हैं। इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन संस्थानों में कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के उम्मीदवारों के लिए अवसर सुलभ हों, जबकि भर्ती पारदर्शी और योग्यता-आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से आयोजित की जाए।

*****